प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–......... 2022............
   प्र0सू0रि0 सं 407/22 ....दिनांक 14/10/2022

2. (1) अधिनियम... .... भ्र.नि अधिनियम 1988..............धाराए .... 13(1)(सी)(डी),13(2)..............................
   (2) अधिनियम......... ....भादस..धाराए................. 409,420,120 बी...
   (3) अधिनियम...... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.......धाराए.................. 7(सी), 13(1)(ए) सपठित 13(2) ....
   (4) अन्य अधिनियम एवं ....धाराएं...

3. (क) घटना का दिन :– ....दिनांक :–...14.10.2016..से 3.10.2019 तक.........................
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–............................समय ....
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....236.... समय.............................7:45 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण पश्चिम दिशा बफासला करीब 105 किमी
   बीट संख्या...जुरामदेही सं..
   (ख) पता:– ग्राम पंचायत 15 बीएलडी श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर ।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
   थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री महावीर सिंह आर0ए0एस0
   (ख) पिता/पति का नाम :–
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :–
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि.................................जारी करने का स्थान.........................
   (च) व्यवसाय:– –
   (छ) पता :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   1. वेदप्रकाश पुत्र श्री मघदास स्वामी उम्र 39 साल नि0 चक 9 एएस तह0 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 15 बीएलडी पंचायत समिति श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
   2. अन्य सम्बन्धित

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)................
   आरोपी द्वारा सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ तकनीकी सहायक को गुमराह कर पूर्व में अन्य योजनाओं में स्वीकृत एवम निर्मित कार्यो को स्वीकृति अनुसार नवीन कार्य होना बताते हुये कार्यों का मूल्यांकन एवम समायोजन करवाकर राजकीय राशि का गबन किये जाने आदि के आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– ....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

कार्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 6165 दिनांक 15.7.2020 के जरिये ब्यूरो मुख्यालय मे एक लिखित रिपोर्ट बदी मजमून प्रेषित की गई कि " श्रीमान महानिदेशक महोदय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान झालाना संस्थानिक एरिया जयपुर विषय :– श्री वेदप्रकाश स्वामी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 15 बी0एल0डी0 पंचायत समिति श्रीविजयनगर हाल सूरतगढ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के संदर्भ में । महोदय, उपरोक्त विष्यान्तर्गत निवेदन है कि श्री वेदप्रकाश स्वामी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बी0एल0डी0 पंचायत समिति श्री विजयनगर हाल सूरतगढ के कार्यकाल की जिला स्तर से कमेटी का गठन कर करवाई गई। जांच कमेटी को ग्राम पंचायत में श्री वेदप्रकाश स्वामी के कार्यकाल का अभिलेख प्राप्त नही हुआ। जांच की दृष्टि से ग्राम पंचायत 15 बी0एल0डी0 के खाता सं0

05712010062540 ओबीसी बैंक विजयनगर से बैक स्टैटमेंट दिनांक 01.01.2015 से 09.07.2020 एवं ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यो की स्वीकृतियों की प्रति पंचायत समिति से प्राप्त कर जांच की गई।

1. बैंक स्टैटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2016–17 में 445000 /–वर्ष 2017–18 में 2762000इ/– वर्ष 2018–19 485000 /– वर्ष 2019–20 में 126100 /– रूप्ये सहित कुल 3818100/– (अडतीस लाख अठारह हजार एक सौ रूपये) बैंक से नगद आहरित किये गये । जबकि पंचायती राज नियम 1996 के नियम 211 (1) के नियमानुसार एक हजार रूप्ये से अधिक की राशि जरिये चैक ही आहरित की जानी चाहिये ,नगद भुगतान किसी भी स्थिति में ना हो। बैंक से नकद राशि आहरित कर इसका भुगतान किस कार्य पेटे किस व्यक्ति या फर्म को किया गया है रिकॉर्ड के अभाव में यह स्पष्ट नही हो पाया है।
2. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 05.12.2016 को चैक संख्या 664022 राशि 4,00,000/– वेदप्रकाश के नाम जारी किया गया है। उक्त राशि वेदप्रकाश स्वामी निवासी चक 9 ए.एस.के ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के खाता संख्या 06632151009355 में जमा हुई है। वर्तमान में उक्त खाता प्रचलन में नहीं है। जिसकी पुष्टि बैक से कर ली गई है। श्री वेदप्रकाश स्वामी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की निधि को अपने स्वंय के खाते में हस्तान्तरित कर राजकोष का गबन किया गया है।
3. खड़वन्जा रिसोलिग डामर रोड से बलोर सिंह के घर तक 3 एलजीएम में मस्ट्रोल संख्या 15500 एवंम 15501 दर्शाये गये है। जबकि उक्त सीरीज के मस्ट्रोल पंचायत समिति द्वारा जारी ही नही किये गये है। अतः उक्त मस्ट्रोल संदेहास्पद है। उक्त मस्ट्रोलो की कुल भुगतान राशि 53809/– रुपये है का गबन किया गया है।
4. खडवन्जा रिसोलिग आबादी 15 बीएलडी पार्ट 1 में मस्ट्रोल संख्या 15929 से 15933 तक दिनांक 12.10.2017 को पंचायत समिति से जारी कियें गये थे। जबकि उक्त मस्ट्रोलो की कार्य अवधि 02.05.2017 से 31.05.2017 तक दर्शायी गई है। जो कि कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की श्रेणी में आता है। उक्त मस्ट्रोलो की कुल भुगतान राशि 1,71,674/– रुपये है, का गबन किया गया है।
5. खडवन्जा रिसोलिग आबादी पार्ट 2 में मस्ट्रोल संख्या 14573 से 14579 तक दिनांक 03.08.2017 को पंचायत समिति से जारी कियें गये थे। जबकि उक्त मस्ट्रोलो की कार्य अवधि 16.06.2017 से 11.08.2017 तक दर्शायी गई है। जो कि कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की श्रेणी में आता है। उक्त मस्ट्रोलो की कुल भुगतान राशि 2,39,470/– रुपये है, का गबन किया गया है।
6. खडवन्जा रिसोलिग आबादी पार्ट 3 में मस्ट्रोल संख्या 16920 से 16925 तक कुल 6 मस्ट्रोल इस कार्य पर दर्शाये गये है। जो कि पंचायत समिति कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत 8 एसटीबी को जारी किये गये है। जो कि कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की श्रेणी में आता है। उक्त मस्ट्रोलो की कुल भुगतान राशि 1,95,388/– रुपये है। जो कि गबन किया गया है।
7. खडवन्जा रिसोलिग आबादी पार्ट 10 में मस्ट्रोल संख्या 15940 इस कार्य पर दर्शाये गये है। जो कि पंचायत समिति कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत 4 बीएलडी को जारी किये गये है। जो कि कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की श्रेणी में आता है। उक्त मस्ट्रोल की कुल भुगतान राशि 29,936/– रुपये है। जो कि गबन किया गया है।
8. खडवन्जा रिसोलिग आबादी पार्ट 4 में मस्ट्रोल संख्या 14601 से 14602 इस कार्य पर दर्शाये गये है। इस श्रेणी की सीरीज के मस्ट्रोल पंचायत समिति कार्यालय द्वारा जारी ही नही किये गये है। जो कि पूर्णतया फर्जी दस्तावेज है जिसकी राशि 42810/– है। इस कार्य पर मस्ट्रोल संख्या 14597 से 14600 तक कार्या अवधि 01.09.2017 से 15.09.2017 दर्शायी गई है। जबकि उक्त मस्ट्रोल पंचायत समिति कार्यालय से 15.09.2017 को जारी कियें गये है। मस्ट्रोल जारी होने से पहलें मजदुरो को कार्य पर लगाया जाना स्वंय ही सदेहास्पद है। उक्त मस्ट्रोलों की कुल राशि 1,43,416/– है, का गबन किया गया है।
9. मिटटी भर्ती आबादी 15 बीएलडी में मस्ट्रोल संख्या 3140 से 3143 तक दर्शाया गया है। इस श्रेणी की सीरीज के मस्ट्रोल पंचायत समिति कार्यालय द्वारा जारी ही नही किये गये है। जो कि पूर्णतया फर्जी दस्तावेज है जिसकी राशि 1,04,410/– है, का गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत से अभिलेख प्राप्त नही होने पर पंचायत समिति श्रीविजयनगर से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर कार्यो का भौतिक सत्यापन करवाया गया। सूची के क्रम संख्या 01 से 03 तक के कार्य पेटे 773500/रू, क्र.सं. 04 से 13 के कार्यो पेटे 3419354/रू की राशि के कार्य मौके पर नही होना पाया गया। क्र.सं. 01 से 19 तक के कार्यो का मूल्यांकन श्री सुनील कुमार कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति श्रीविजयनगर द्वारा नियम विरूद्ध तकनीकी सहायक(मैकेनिकल योग्ताधारी) से करवाया गया। श्री वेदप्रकाश ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कनिष्ठ तकनकी सहायक, सहायक अभियंता को गुमराह करते हुये पूर्व में अन्य योजनाओं में स्वीकृत एवं निर्मित कार्यो को नवीन कार्य होना स्वीकृत एवं निर्मित होना बताते हुये मूल्यांकन एवं समायोजन करवाकर राजकीय राशि का अपहरण एवं गबन किया गया। जबकि विभागीय आदेशानुसार मैकेनिकल योग्यताधारी कनिष्ठ तकनीकी सहायक सिविल कार्यो के मूल्यांकन/पर्यवेक्षण हेतु सक्षम नही है। इसक्रे बावजूद श्री मेजर अली अपने आदेश क्रमांक 3178–3183 दिनांक 23.01.19 द्वारा श्री सुनील कुमार कनिष्ठ तकनीकी सहायक को सिविल कार्यो के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु अधिकृत किया गया। गैर सिविल कनिष्ठ तकनीकी सहायको द्वारा किये गये मूल्यांकन/माप पुस्तिका के मूल्यांकन एवं समायोजन के पत्रांक 285/नरेगा/स्था.दिनांक 06.07.20 द्वारा प्रभावहीन/निरस्त किया जा चुका है। सम्बधिंत आरोपो के विरूद्ध नियमानुसार भ्रष्टाचार निरोधक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें। संलग्नः–जांच रिपोर्ट । एसडी महावीर सिंह आ0ए0एस0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर

उक्त रिपोर्ट पर ब्यूरो में परिवाद सं0 153/2020 दिनांक 18.11.2020 विरूद्व वेदप्रकाश स्वामी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 15 बीएलडी पंचायत समिति श्री विजयनगर हाल सूरतगढ पंजीबद्व किया जाकर वास्ते सत्यापन चौकी पर प्राप्त होने पर मुझ पुलिस निरीक्षक को परिवाद सत्यापन हेतु सुपुर्द किया गया । परिवाद के सत्यापन में पंचायत समिति विजयनगर के जांच दल सदस्यो प्रहलाद सिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर एवम श्री भगवान दास अरोडा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय जिला श्रीगंगानगर के बयान लेखबद्व किये गये । पंचायत समिति श्रीविजयनगर से उक्त वर्णित आरोपो के सम्बन्ध में सूचना एवं रिकार्ड प्राप्त किया जाकर श्री नरेन्द्र कुमार नैण सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कथन लेखबद्व किये गये तथा उक्त जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत 15 बीएलडी– ए के समीक्षा अवधि दिनांक 14.10.16 से 03.10.19 तक के लेखों की जांच कर जारी किये गये जांच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया गया। जांच कमेटी द्वारा जांच के निष्कर्ष में उल्लेखित किया है कि विस्तृत जांच कार्य रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर ही पूर्ण किया जा सकता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सम्बन्धित द्वारा वित्तिय अनियमितता , गबन एवम कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजकोष को राशि 1380913/– रूपये की हानि पहुचाई गई है।

इस प्रकार प्राप्त शिकायत व कमेटी की जांच रिपोर्ट के तथ्यों एवं परिवाद के सत्यापन में उपलब्ध हुये साक्ष्यो के आधार पर आरोपी श्री वेदप्रकाश तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 15 बीएलडी पंचायत समिति विजयनगर जिला श्रीगंगानगर व अन्य सम्बन्धित द्वारा ग्राम पंचायत 15 बीएलडी में समीक्षा अवधि दिनांक 14.10.2016 से दिनांक 3.10.2019 के दौरान करवाये गये विकास कार्यों में अपने अपने पदों का दुरूपयोग कर आपराधिक सहभागिता के तहत वित्तिय अनियमितता कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजकोष से भुगतान उठाकर गबन कर राजकोष को हानि कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर आरोपीगणों के विरूद्व धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 409,420 व 120 बी भादस तथा धारा 7(सी), 13(1)(ए) सपठित 13(2) पीसी एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः श्री वेदप्रकाश स्वामी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 15 बीएलडी पंचायत समिति विजयनगर जिला श्रीगंगानगर एवम अन्य सम्बन्धित के विरूद्व उपरोक्त अपराध में प्रकरण पंजीबद्व किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(विजेन्द्र कुमार सीला)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
श्रीगंगानगर–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 7(सी), 13(1)(ए) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 409, 420, एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री मघदास स्वामी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 15 बीएलडी, पंचायत समिति श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य सम्बन्धित के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 407/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 3540-45 दिनांक 14.10.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(परि.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि.153/20)

14.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।